न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
914 / 2024	19.12.2024	19.12.2024

उनवान

1. श्री बद्री पुत्र श्री मागु जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
2. श्री रामलाल पुत्र श्री मांगु जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा राज.।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती चान्दी पत्नि स्व० श्री शंकर माली जाति माली उम्र वयस्क निवासी महिला महिला आश्रम मालीखेड़ा भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
2. श्री प्रभू पुत्र स्व० श्री शंकर माली उम्र नाबालिग सरपरस्त माता श्रीमती चान्दी पत्नि स्व० श्री शंकर माली जाति माली उम्र वयस्क निवासी महिला आश्रम मालीखेडा भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
3. श्री पुषा लाल पुत्र स्व० श्री शंकर माली उम्र नाबालिग सरपरस्त माता श्रीमती चान्दी पत्नि स्व० श्री शंकर माली जाति माली उम्र वयस्क निवासी महिला आश्रम मालीखेड़ा भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
4. श्री राजू पुत्र स्व० श्री शंकर माली उम्र नाबालिग सरपरस्त माता श्रीमती चान्दी पत्नि स्व० श्री शंकर माली जाति माली उम्र वयस्क निवासी महिला आश्रम मालीखेडा भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज,।
5. सुश्री संतोषी पुत्री स्व० श्री शंकर माली उम्र नाबालिग सरपरस्त माता श्रीमती चान्दी पत्नि स्व० श्री शंकर माली जाति माली उम्र वयस्क निवासी महिला आश्रम मालीखेडा भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
6. श्री सम्पत पुत्र स्व० श्री शंकर माली जाति माली उम्र वयस्क निवासी महिला आश्रम मालीखेड़ा भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
7. श्री सांवरा पुत्र स्व० श्री शंकर माली जाति माली उम्र वयस्क निवासी महिला आश्रम मालीखेड़ा भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज.

–– विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री रामजस माली
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पालडी, पटवार हल्का– पालडी, भू.अ.नि. क्षेत्र–सांगानेर, तहसील व जिला–भीलवाड़ा के वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2073 तक में दर्ज खाता संख्या नया 317 पुराना 588 में वर्णित आराजी संख्या 1325 रकबा 0.44805 हेक्टर आरराजी संख्या 1328 रक़बा 0.4552 कुल किता 02 रकबा 0.9357 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और प्रतिवादी जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 7 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

ग्राम पालडी, पटवार हल्का– पालडी, भू.अ.नि. क्षेत्र–सांगानेर, तहसील व जिला–भीलवाड़ा के वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2073 तक में दर्ज खाता संख्या नया 317 पुराना 588 में वर्णित आराजी संख्या 1325 रकबा 0.4805 हेक्टर आरराजी संख्या 1328 रकबा 0.4552 कुल किता 02 रकबा 0.9357 हैक्टेयर भूमि स्थित है। भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19-12-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा